राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि / नरेगा / एमआईएस / 56223 / पार्ट–I / 2017 जयपुर, दिनांक : 28 AUG 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषय :– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नरेगा सॉफ्ट में ई–मस्टररोल की समयबद्व एन्ट्री के संबन्ध में।**

संदर्भ :– **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.08.2017**

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार मस्टररोल समाप्ति के **15 दिवस में भुगतान किया जाना अनिवार्य** है। इस संबन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा **टी+8 दिवस तक एफ.टी.ओ. पर द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर किये जाने के निर्देश** जारी किये हुए है ताकि **मस्टररोल समाप्ति के 15 दिवस में भुगतान सुनिश्चित** किया जा सके परन्तु फिर भी कुछ स्थानों पर मस्टररोल समाप्ति के 90 दिवस के उपरान्त भी भुगतान किया जा रहा है।

इस संबन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि **नरेगा सॉफ्ट में मस्टररोल की एन्ट्री, मस्टररोल समाप्ति के 30 दिवस में ही किये जाने का प्रतिबन्ध दिनांक 15.09.2017 से लागू किया** जा रहा है अर्थात **मस्टररोल समाप्ति के 30 दिवस के उपरान्त मस्टररोल की एन्ट्री नरेगा सॉफ्ट में नही की जा सकेगी।**

अतः इस संबन्ध में निर्देशित किया जाता है कि **जिला एवं पंचायत समिति के स्तर पर सघन मॉनिटरिंग** सुनिश्चित करते हुए **अभी तक अवधि समाप्त सभी मस्टररोल की एन्ट्री नरेगा सॉफ्ट पर** सुनिश्चित करते हुए **भविष्य में प्रयुक्त होने वाली सभी मस्टररोल की एन्ट्री टी+8 दिवस तक की समय सीमा** में की जावे **परन्तु किसी भी हालत में मस्टररोल समाप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिवस की समयावधि में आवश्यक रूप से कर ली** जावे। इससे **अधिक के विलम्ब के लिए कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार** होगें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

24/8/17
(रोहित कुमार)
सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।

24/8/17
परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner

Department of Rural Development
Ministry of Rural Development
MGNREGA Division

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 17th August, 2017

To

The Principal Secretary / Secretary/Commissioner,
Dept. of Rural Development & PR,
(In-Charge of Mahatma Gandhi NREGA)
All States/ UTs.

Subject: Timely filling up e-MR and entry in MGNREGS MIS NREGASoft-reg.

Madam/Sir,

The Timely payment of wages to workers has been a thrust area of the Ministry and in order to further streamline this process, it was informed to all States/ UTs to generate payments within 8 days of closure of Muster rolls (MR). This includes filling the attendance, measurement of work, generation of wage list and signing of FTOs within T+8 days. ("T" here refers to the date of closure of e-MRs).

2. Further, Report R 14.2 of the MIS indicates that over 4.25 lakh e-MRs are pending for payments beyond 15 days of closure of Muster Roll. In some instances, the payments are being generated even after 90 days of closure of MR, which can be seen from the MIS Report R 14.5.

3. In order to curtail the above delays, the maximum timeline to enter filled e-MRs into the MIS is now being restricted to 30 days from the date of closure of the e-MR with effect from 15th September, 2017. This will then be gradually reduced to adhere to the prescribed timelines.

Yours faithfully,

AkSumbly

(A.K. Sumbly)
Deputy Secretary(MGNREGA)
011-23070129

Copy to:
Sr. Tech Director, NIC for making necessary provisions.

Scanned by CamScanner